रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 476] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 3, 1972/ कार्तिक 12, 1894

No. 476] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 1972/KARTIK 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

### ORDER

*New Delhi, the 3rd November* 1972

S.O. 695(E)/18AA/IDRA/72.—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary evidence in its possession that the persons in charge of the industrial undertaking known as Messrs Ganesh Flour Mills Company Limited, Delhi, have, by reckless investments and creation of incumbrances on the assets of the industrial undertaking, brought about a situation which is likely to affect the production of articles manufactured in the industrial undertaking, and that immediate action is necessary to prevent such a situation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the "authorised person") to take over the management of the said industrial undertaking, subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) the authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) the authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this order in the Official Gazette;

(iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier, if it considers necessary to do so.

2. This order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. 4/12/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

---

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1972

का० आ० 695(अ)/18कक/आई० डी० आर० ए०/72.—यत: केन्द्रीय सरकार के पास जो दस्तावेजी साक्ष्य हैं, उनसे समाधान हो गया है कि मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली, के भार-साधक व्यक्तियों ने लापरवाही से विनिधान करके और औद्योगिक उपक्रम की आस्तियों पर भार डालकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, और ऐसी स्थिति से बचने के लिए तात्कालिक उपाय करने आवश्यक हैं ;

अत: अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), को उक्त औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध ले लेने को निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन प्राधिकृत करती है :—

(i) प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए सभी निदेशों का अनुपालन करेगा;

(ii) प्राधिकृत व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

(iii) यदि केन्द्रीय सरकार, ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति पहिले समाप्त कर सकती है ।

2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा ।

[सं० फा० 4/12/72-सी० यू० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।

---

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972